न्यायालय: अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी : **रेशमा खान (आर.जे.एस.)**
जिला न्यायाधीश संवर्ग

सेशन प्रकरण संख्या : 114/2021 (Cis No.38/2018)

सीएनआर नंबर : RJSM070010382018

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, गंगापुर सिटी **परिवादी**

ब ना म

ओम उर्फ ओमनिरंजन पुत्र मुंशीलाल निवासी सहजपुरा थाना सदर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज. **अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत धारा 450, 376 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति:

1. श्री घनश्याम सिंह, अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।
2. श्री आर.के.शर्मा, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय:: **दिनांक** 05.06.2026

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक 126 दिनांक 12.07.2021 द्वारा यह प्रकरण न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.01, गंगापुर सिटी से अन्तरित होकर इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पीडिता ने पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी के समक्ष उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 दिनांक 07.08.2018 को इस आशय की पेश की कि दिनांक 05–02–2018 को उसका पति जो ड्राईवरी का काम करता है बाहर गया हुआ था । वह अपने खेतों पर सरसों की फसल की रखवाली करने जाती थी। उस दिन वह 11 बजे दिन मे अपने खेत पर थी इतने मे ओम पुत्र मुंशी खेत मे घुस आया और उसके साथ छेडखानी करने लगा, मोबाइल से फोटो भी खींच ली। मना किया तो उसके साथ धक्का मुक्की की एवं खेत मे पडी दांतली मेरी गर्दन पर लगा दी बोला कि अगर चिल्लाई तो जान से मार देगा, उस दिन गांव मे भागवत सप्ताह चल रही थी आसपास के खेतो मे कोई नही था सबके सब भागवत कथा सुनने गये थे। फिर उसके साथ ओम ने मेरी मर्जी के बिना बलात्कार किया। ओम ओम ने अपने मोबाइल से मेरी नंगी फोटो भी खींच ली। इस घटना के लगभग दो माह बाद उसके साथ दिनांक 08.04.2018 को उसके घर पर आकर नमो व ओम ने रात्रि में बलात्कार किया। इसके बाद आये दिन दोनों भाई उसे परेशान करते रहे हैं, अकेली होती तब

ये लोग तंग परेशान करते गंदी–गंदी गालियां बकते। उसके चुप रहने के कारण इनकी हिम्मत बढ गई, उसके साथ मोबाईल फोटो डालकर बदनाम करने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया। दिनांक 03.08.2018 को शराब के नशे में उसके देवर को मोबाईल से फोटो दिखायी, उसके देवर ने जब ओम नशे में धुत था तब चुपचाप ओम के मोबाईल से सारी फोटो व क्लीपिंग अपने मोबाईल के मेमोरी कार्ड में डाल लिये।....इत्यादि

03. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी में एफ.आई.आर. 198/2018 अन्तर्गत धारा 354 ख, 376 डी, 504 भा.दं.सं. में अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान चालान अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 376, 450 भा.दं.सं. में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं.2 गंगापुर सिटी के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य होने के कारण कमिट होकर न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. दिनांक 11.02.2019 को अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 376, 450 भा.दं.सं. का आरोप विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुन–समझकर अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से पी.ड.1 पीडिता, पी.ड.2 कैलाश, पी.ड.3 महेन्द्र, पी.ड.4 बाबूलाल, पी.ड.5 धनसिंह, पी.ड.6 गजराज, पी0 ड.7 पीडिता का पति, पी.ड.8 रघुपतसिंह, पी.ड.9 डा.वेणी माधव, पी.ड.10 डा.उषारानी, पी.ड.11 मुंशीलाल, पी.ड.12 बलराम, पी.ड.13 दिनेश कुमार, पी.ड.14 डा.आर.सी.मीना, पी.ड.15 प्रेमप्रकाश, पी.ड.16 सचिन सिंह राठौड, पी.ड.17 विमल कुमार, पी.ड.18 नवदीपसिंह, पी.ड.19 उमेश कुमार, पी.ड.20 नरेन्द्र कुमार व पी.ड.21 हरवीरसिंह परीक्षित कराये गये।

06. दस्तावेजी साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1, चाक एफआईआर प्र.पी.2, नक्शा मौका प्र.पी.3 व 4, मेडीकल मुआयना पीडिता प्र.पी.5, बयान धारा 164 दं.प्र.सं. पीडिता प्र.पी.6, पुलिस बयान पीडिता प्र.पी.7, पुलिस बयान कैलाश प्र.पी.8, पुलिस बयान महेन्द्र प्र.पी.9, पुलिस बयान बाबूलाल प्र.पी.10, पुलिस बयान धनसिंह प्र.पी.11, पुलिस बयान गजराज प्र.पी.12, पुलिस बयान कदमसिंह प्र.पी.13, फर्द जब्ती सी.डी. प्र.पी.14, फर्द जब्ती लिफाफा प्र.पी.15, एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी.16, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त प्र.पी.17, पुलिस बयान बलराम प्र.पी.18, पुलिस बयान दिनेश प्रजापत प्र.पी.19, पुरूषत्व परीक्षण अभियुक्त प्र.पी.20, फर्द जब्ती प्र.पी.21, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्र.पी.22 ए, फर्द जब्ती सील्डशुदा पैकेट प्र.पी.23, एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी.24 व एफएसएल प्राप्ति रसीद प्र.पी.25 पेश कर प्रदर्शित करवाये

07. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई गवाहान की साक्ष्य को गलत एवं स्वयं को निर्दोष बताया व कथन किया कि उसे झूठा फंसाया गया है।

08. अभियोजन पक्ष की ओर से बहस के दौरान अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी प्रमाण के द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया है।

09. उक्त तर्कों का विरोध अधिवक्ता अभियुक्त ने यह कहकर किया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रकरण की बतायी गई पीडिता व उसका पति पक्षद्रोही होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं, अन्य किसी भी गवाह ने उक्त घटना अभियुक्त द्वारा कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को उक्त अपराध के लिए दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

10. उभयपक्षों की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.02.2018 को दिन के 11 बजे पीडिता के खेत में उसकी गर्दन पर दांतली रखकर उसकी सहमति के बिना बलात्कार किया व अश्लील फोटो खींच लिये, दिनांक 08.04.2018 को रात्रि के समय ग्राम सहजपुर में पीडिता के रिहायशी मकान में अनाधिकार रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं पीडिता के साथ जबरन चाकू की नोक पर उसकी सहमति के बिना बलपूर्वक संभोग कर बलात्कार किया?

11. साक्ष्य अभियोजन में प्रस्तुत गवाहान निम्न तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं:–

11.1 पी.ड.1 पीडिता ने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि करीब चार साल पहले की बात है। उसका पति ट्रक पर चालक का कार्य करता है। शाम को उसका पति जब घर पहुंचा तो बताया कि ओम निरंजन ने उसे ट्रक यूनियन पर पकड़ लिया और मोबाईल छीन लिया और बेज़ति कर दी। फिर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे। उसके साथ औम निरंजन ने कभी भी कोई बलात्कार नही किया। उसने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी जो प्रदर्श पी 01 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, पुलिस ने घटनास्थल के नक्शे मौके बनाये थे जो प्रदर्श पी 03 व 04 है, उसका अस्पताल में मेडिकल हुआ था जो प्रदर्श पी 05 है, उसके न्यायालय में बयान हुए थे जो प्रदर्श पी.6 है जिन पर एक्स स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है। अपर लोक अभियोजक द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने पर की गई जिरह के दौरान यह कथन किये हैं कि प्र.पी.1 रिपोर्ट उसके पति लिखवाकर लाये थे, उसने पुलिस के कहने पर अंगूठा निशानी कर दी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में हाजिर अदालत अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई बलात्कार की घटना नहीं किये जाने, किसी प्रकार के अश्लील वीडियो या सीडी नहीं बनाये जाने के कथन किये हैं। प्र.पी.6 बयान पुलिस के दबाव में दिये जाने के कथन कर स्वयं के साथ कोई घटना नहीं होने के कथन किये हैं।

11.2 पी.ड.7 पीडिता के पति ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है, अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही हुआ है एवं यह कथन किया है कि पीडिता ने उसे उसके साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार करने व अश्लील फोटो खींचने वाली कोई बात नहीं बतायी। स्वयं व अभियुक्त के मध्य छोटा–मोटा विवाद होने के कथन किये हैं।

11.3 पी.ड.2 कैलाश, पी.ड.3 महेन्द्र, पी.ड.4 बाबूलाल, पी.ड.5 धनसिंह,पी.ड.6 गजराज व पी.ड.13 दिनेश कुमार ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है व अभियोजन की

प्रार्थना पर पक्षद्रोही हुए हैं ।

11.4 गवाह पी.ड.8 रघुपतसिंह का कथन है कि दिनांक 13.08.2018 को वृत्त कार्यालय गंगापुर सिटी में एचसी कार्यरत था। उस दिन अनुसंधान अधिकारी नरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा पीडिता के बयानों की सीडी जरिये फर्द प्र.पी.14 जब्त की, सी.डी.आर्टिकल 1 है ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 06.10.2018 को उसने एक सील्डशुदा लिफाफे में अभियुक्त के पुरूषत्व बाबत लिये गये प्रादर्श का एक पैकेट अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश किया जिसे उसके समक्ष जरिये फर्द प्र.पी.15 जब्त किया ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

11.5 गवाह पी.ड.9 डा.वेणी माधव का कथन है कि दिनांक 07.08.2018 को राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी मे मेडीकल ज्यूरिष्ठ कार्यरत था। उस दिन गठित मेडीकल बोर्ड जिसमें उसके अलावा डा.उषारानी, डा.पुष्पेन्द्र बंसल सदस्य थे, पीडिता का बलात्कार संबंधी मेडीकल मुआयना किया गया, मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.5 है ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं सी से डी डा.उषारानी के ई से एफ डा.पुष्पेन्द्र के हस्ताक्षर हैं। जी से एच मेडीकल बोर्ड राय है, एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी.16 है।

11.6 गवाह पी.ड.10 डा.उषारानी का कथन है कि दिनांक 07.08.2018 को राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में मेडीकल ज्यूरिष्ठ कार्यरत थी। उस दिन प्रमुख चिकित्साधिकारी के आदेश पर गठित मेडीकल बोर्ड जिसमें वह सदस्य थी द्वारा पीडिता का बलात्कार संबंधी मेडीकल मुआयना किया गया, मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.5 है, सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं जी से एच मेडीकल बोर्ड की राय है, एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी.16 है।

11.7 गवाह पी.ड.11 मुंशीलाल अपने सामने अभियुक्त को जरिये फर्द प्र.पी.17 गिरफ्तार करने का कथन करता है।

11.8 गवाह पी.ड.12 बलराम नक्शा मौका प्र.पी.3 व प्र.पी.4 का गवाह है।

11.9 गवाह पी.ड.14 डा.आर.सी.मीना का कथन है कि दिनांक 02.10.2018 को चिकित्साधिकारी सामान्य चिकित्सालय गंगापुर सिटी कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस प्रार्थना पर अभियुक्त का पुरूषत्व परीक्षण किया, उसकी राय में पुरूषत्वहीन नहीं पाया गया वह संभोग करने में सक्षम पाया, उसके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.20 है जी से एच उसकी राय व आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं।

11.10 पी.ड.15 प्रेमप्रकाश का कथन है कि दिनांक 26.08.2018 को वृत्त कार्यालय गंगापुर सिटी में कान्स्टेबल कार्यरत था। उस दिन बलराम द्वारा मेमोरी कार्ड, सी.डी. तीन फोटोग्राफ आईओ के समक्ष पेश करने पर जब्ती प्र.पी.21 तैयार की गई, ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, सीडी, मेमोरी कार्ड, तीन फोटोग्राफ आर्टिकल 2 है।

11.11 पी.ड.16 सचिन सिंह राठौड का कथन है कि दिनांक 08.08.2018 को वृत्त कार्यालय गंगापुर सिटी में कान्स्टेबल कार्यरत था। उस दिन प्रकरण में पीडिता के बयानों की सीडी तैयार कर आईओ को उसके द्वारा दी गई जिसे उसके समक्ष जरिये फर्द प्र.पी.14 जब्त किया गया, सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं, सीडी आर्टिकल 1 है।

11.12 पी.ड.17 विमल कुमार का कथन है कि वह मालखाना इंचार्ज पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी में तैनात था, उसके समक्ष सील्डशुदा पैकेट मार्क 1, मार्क सी प्राप्त होने पर मालखाना में जमा किया, मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 89/2018 दर्ज है, असल

मालखाना रजिस्टर प्र.पी.22 जिसकी प्रति प्र.पी.22 ए है।

11.13 पी.ड.18 नवदीपसिंह दिनांक 18.08.2018 को कान्स्टेबल थाना सदर गंगापुर सिटी कार्यरत होने। प्रकरण में पीडिता के बलात्कार संबंधी लिये गये प्रादर्शों का सीलबंद पैकेट की जब्ती उसके समक्ष आईओ द्वारा जरिये फर्द प्र.पी.23 तैयार किये जाने, अभियुक्त के पुरूषत्व संबंधी प्रादर्शों का सील्डबंद पैकेट उसके सामने जरिये फर्द प्र.पी.15 जब्त किये जाने, जिन पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करता है।

11.14 पी.ड.19 उमेश कुमार अपने सामने अभियुक्त को जरिय फर्द प्र.पी.17 गिरफ्तार करने का कथन करता है।

11.15 पी.ड.20 नरेन्द्र कुमार का कथन है कि दिनांक 07.08.2018 को पुलिस उपाधीक्षक वृत्त गंगापुर सिटी कार्यरत था। उस दिन पीडिता की टाईपशुदा रिपोर्ट प्र.पी.1 पर दर्ज प्रकरण की तफ्तीश पत्रावली उसे प्राप्त हुई। प्र.पी.1 रिपोर्ट व प्र.पी.2 चाक एफआईआर पर एसएचओ कन्हैयालाल के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह पहचानता है। उसके द्वारा प्रकरण में नक्शा मौका प्र.पी.3 व प्र.पी.4 तैयार किया गया। पीडिता की मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.5, पीडिता के धारा 164 के बयान प्र.पी.6 शामिल पत्रावली है। उसके द्वारा गवाहान के धारा 161 के बयान लेखबद्ध किये गये। पीडिता के बयानों की सीडी जरिये फर्द प्र.पी.14 जब्त की गई। अभियुक्त के पुरूषत्व बाबत सैम्पल का सील्डशुदा लिफाफा उसके समक्ष पेश होने पर जरिये फर्द प्र.पी.15 जब्त किया। उसके द्वारा अभियुक्त को जरिये फर्द प्र.पी.17 गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की पुरूषत्व संबंधी मेडीकल रिपोर्ट शामिल की गई जो प्र.पी.20 है। बलरामसिंह द्वारा पेन ड्राइव, सीडी, फोटोग्राफ पेश करने पर जरिये फर्द प्र.पी.21 जब्त किये गये। पीडिता के मेडीकल बोर्ड द्वारा लिये गये प्रादर्शों का सील्डशुदा पैकेट उसके समक्ष पेश होने होने पर जरिये फर्द प्र.पी.23 जब्त किया गया। एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी.24 है। पीडिता के बयानों की सीडी आर्टिकल 1 है। सीडी आर्टिकल 2, मेमोरी कार्ड आर्टिकल 3 फोटोग्राफ प्र.पी.25 से प्र.पी.27 हैं। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 450, 376 भा.दं.सं. प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एसएचओ थाना सदर गंगापुर सिटी को पेश की, चार्जशीट के प्रत्येक पेज पर ए से बी कन्हैयालाल के हस्ताक्षर हैं।

11.16 पी.ड.21 हरवीरसिंह दिनांक 12.10.2018 को थाना सदर गंगापुर सिटी में कार्यरत होने, प्रकरण से संबंधित दो सील्डशुदा पैकेट मय अग्रेषण पत्र राज्य विधि विज्ञानशाला प्रयोगशाला भरतपुर में जमा कराने जिसकी प्राप्ति रसीद प्र.पी.25 होने का कथन करता है।

12. न्यायालय के समक्ष उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण जरिये प्रदर्श पी.1 तहरीरी रिपोर्ट के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध संस्थित किया गया है, जिसमें दिनांक 05.02.2018 को दिन में खेत में घुसकर उसके साथ छेडखानी करने, उसके मोबाईल में फोटो खींचने, गर्दन पर दांतली लगाकर मर्जी के बिना बलात्कार करने, दिनांक 08.04.2018 को घर आकर नमो व ओम द्वारा गर्दन पर चाकू लगाकर बलात्कार करने, मोबाईल फोटो डालकर बदनाम करने की धमकी देकर डरा धमकाकर कई बार बलात्कार करने का उल्लेख किया गया है। उक्त उल्लेखित तथ्यों के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से पीडिता को पी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षित करवाया है, जिसने सशपथ कथनों में स्वयं के साथ कोई बलात्कार की घटना नहीं होने के कथन कर पक्षद्रोही हुई है। लिखित रिपोर्ट प्र.पी.1 व पुलिस बयान प्र.पी.7 में अभियोजन कहानी के समर्थनस्वरूप तथ्य स्वयं द्वारा लिखाने से भी इनकार किया है। अधिवक्ता

अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर यह कथन करती है कि हाजिर अदालत अभियुक्त ने उसके साथ किसी प्रकार का कोई बलात्कार नहीं किया और ना ही किसी प्रकार की कोई अश्लील वीडियो या सीडी बनायी,अभियुक्त कभी उसके घर नहीं आया, उसे खेत पर रोककर दांतली से डरा धमकाकर कोई बलात्कार नहीं किया।

13. अभियोजन पक्ष की मूल आधारशिला रही पीडिता ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं किया है तथा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उसने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया है कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ कोई बलात्कार किया गया था और इसके स्थान पर यह वैकल्पिक कथन प्रस्तुत किया है कि उसके पति को ट्रक यूनियन पर अभियुक्त ने पकड लिया, उसका मोबाईल छीन लिया, यह कथन अभियोजन के धारा 450 एवं 376 भा.दं.सं. के आरोपों की मूल आधारशिला को ही कमजोर कर देता है। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि पीडिता के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है,बशर्ते वह पूर्णतःविश्वसनीय एवं भरोसेमंद हो; किंतु जब पीडिता स्वयं ही अभियोजन कथानक के महत्वपूर्ण तथ्यों से मुकर जाती है और उसके साक्ष्य का कोई भाग आरोपों का समर्थन नहीं करता,तब प्रथम सूचना रिपोर्ट (तहरीर, प्रदर्श P.1) का साक्ष्यात्मक मूल्य अत्यंत सीमित रह जाता है, क्योंकि वह केवल पूर्व कथन है, न कि स्वतंत्र साक्ष्य, पीडिता के पति का साक्ष्य भी प्रतिरक्षा के पक्ष को सुदृढ़ करता है। पीडिता के पति ने कथन में यह स्वीकार किया है कि उसके एवं अभियुक्त के बीच मोबाईल को लेकर छोटा मोटा विवाद हुआ था था तथा उसने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि उसकी पत्नी ने अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की बलात्कार की घटना करने वाली बात नहीं बतायी, एक स्वाभाविक साक्षी होने के नाते उसका कथन महत्वपूर्ण है, विशेषकर तब जब वह न्यायालय में पीडिता के कथन के अनुरूप है। इस प्रकार अभियोजन के विरुद्ध एक संगत एवं संभावित प्रतिरक्षा कथानक उभरता है, जिससे अभियोजन के मामले में संदेह उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में, जब कोई स्वतंत्र साक्षी अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियोजन के आरोपों को पुष्ट नहीं करता, न्यायालय के समक्ष अभियोजन के आरोपों को सिद्ध करने हेतु कोई ठोस मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहता।

अभिलेख पर पीडिता के अतिरिक्त पीडिता का पति पी.ड.7, अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.2 कैलाश, पी.ड.3 महेन्द्र, पी.ड.4 बाबूलाल, पी.ड.5 धनसिंह, पी.ड.6 गजराज भी पक्षद्रोही होकर पीडिता के साथ घटना घटित होने से इनकार कर तहरीरी रिपोर्ट में अंकित अभियोजन कहानी की किसी भी प्रकार ताईद नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये महत्वपूर्ण गवाहान में स्वयं प्रकरण की पीडिता,उसके पति व अन्य गवाह, प्रकरण के अभियुक्त द्वारा प्रकरण की पीडिता के साथ आरोपित अपराध कारित करने से स्पष्ट इनकार कर पूर्णतः पक्षद्रोही हुए हैं।

14 विशेषज्ञ साक्ष्य के संबंध में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की रिपोर्ट प्र.पी.24 के अनुसार पीडिता के वेजाईनल स्वाव व वेजाईनल स्मीयर में मानव वीर्य पाया गया है, परंतु उक्त मानव वीर्य अभियुक्त का ही हो, इस संबंध में कोई डी.एन.ए. रिपोर्ट या अन्य साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पी.डब्ल्यू.14 डा.आर.सी.मीना का साक्ष्य केवल इस तथ्य तक सीमित है कि अभियुक्त नपुंसक नहीं था, जो एक तटस्थ परिस्थिति है और इससे बलात्कार के आरोप का सिद्ध होना प्रमाणित नहीं होता। स्वयं पीडिता पी.ड.1 ने जिरह में इस तथ्य को

स्वीकार किया है कि उसके डॉक्टरी मुआयना से पूर्व रात्रि में अपने पति से संसर्ग हुआ था। ऐसी स्थिति में एफएसएल रिपोर्ट में पीडिता के वेजाईनल स्वाव व स्मीयर पर पाये गये मानव वीर्य को अभियुक्त को अपराध की विशिष्टि के लिए जोडने हेतु कडी स्थापित नहीं होने की अवस्था में एफएसएल रिपोर्ट को अभियुक्त के विरूद्ध नहीं पढा जा सकता है। पी.ड.20 नरेन्द्र कुमार अन्वेषण अधिकारी, जो एक औपचारिक साक्षी है, ने केवल अनुसंधान की प्रक्रिया को सिद्ध किया है, परंतु उसका साक्ष्य अभियोजन के मामले की मूल कमियों को दूर करने में सक्षम नहीं है। समग्र परिस्थितियों में, अभियोजन अपने आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है, अतः संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित है।

15. अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने आरोपित अपराध कारित किया हो। अतः उक्त अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 376, 450 भा.दं.सं. के लिए दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

16. अभियुक्त ओम उर्फ ओमनिरंजन पुत्र मुंशीलाल निवासी सहजपुरा थाना सदर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज. को धारा 376, 450 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त न्यायालय में अपनी उपस्थिति हेतु धारा 437 ए की पालना में 5–5 हजार रुपये के जमानत–मुचलके पेश करें। अभियुक्त के इस प्रकरण में नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में लिये गये जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावें।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–02,
गंगापुर सिटी

17. निर्णय आज दिनांक 05.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–02,
गंगापुर सिटी